र, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

प्रार्थना पत्र सं. 05/2025

अनुवान लादूराम बनाम डेडाराम आदि

आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09/05/2025

लादूराम पुत्र मालूराम जाति ब्राहमण निवासी सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम्

1. डेडाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी भोजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. इन्द्राजगर पुत्र रामेश्वर जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. केशरगर पुत्र नानूगर जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
4. फूलगर पुत्र नानूगर जाति गोसांई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
5. मनीरामगर पुत्र नानूगर जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
6. लालगर पुत्र नानूगर जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
7. सोहनगर पुत्र नानूगर जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
8. तुलछगर पुत्र बुधरगर जाति गोसांई (गुंशाई) निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
9. मूलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर हाल भानीपुरा जिला चूरू

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति —

1. श्री भागीरथ सिद्ध विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण सं0 1 ता 9 एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 10

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख०नं० 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा में स्थित है। प्रार्थीनी की उक्त कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं० 1 की कृषि भूमि ख० नं0 1105 तादादी 2.8300 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं० 2 की कृषि भूमि ख०नं० 1104 तादादी 2.2700 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं० 3 ता 7 की कृषि भूमि ख0नं0 1100 तादादी 9.0400 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं० 8 की कृषि भूमि ख०नं० 1097 तादादी 1.2600 हैक्टेयर रोही मालसर तथा दक्षिणी दिशा में रास्ता को छोड़कर अप्रार्थी सं० 9 की कृषि भूमि ख.नं. 1182 तादादी 3.1400 हैक्टेयर रोही मालसर तथा पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी सं० 9 की कृषि भूमि ख० नं० 1567/1095 तादादी 0.8200 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा मौके पर कम पड़ती है। अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 ने अपनी-अपनी कृषि भूमियों में आगे बढकर प्रार्थी की कृषि भूमि दबा रखी है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान

करवाये जाने का कहने पर अप्रार्थीगण विवाद करते है और सीमाज्ञान नहीं करने देते हैं। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान करवाने हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.04.2024 को मौके पर जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक सीमाज्ञान किया गया परन्तु अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 ने सीमाज्ञान की कार्यवाही में उपस्थित रहते हुए भी तत्समय अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 हल्का पटवारी के नाप से सहमत तो हुए लेकिन लेकिन अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 ने सीमाचिन्ह कायम नहीं करने दिये। प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 खेत की सींव को लेकर तंग व परेशान करते हैं और अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर प्रार्थी के खेत की सींवे नष्ट करते रहते हैं और उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम कर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में अनावश्यक वाधा पैदा करते चले आ रहे हैं। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा की सीमाएँ जो अप्रार्थीगण के खेतों के लगती है पर पुख्ता निशानात कायम कर हद वन्दी की जानी उचित है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 के मध्य तनावपूर्ण स्थिति से छुटकारा मिल सके तथा स्थाई रूप से प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 9 के मध्य सीमा विवाद समाप्त हो सके और शांति से पक्षकार अपनी कृषि भूमियों को काश्त कर उपज ले सकें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड सम्मन, डाक रजिस्ट्री रसीद व डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 9 विधिवत तामिल के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 10 को केवल भू धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थी के खेत की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी होने से राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अतः इनका जवाब बन्द कर पत्रावली बहस मुकर्रर की गई।

बहस प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा में स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि की कब्जा काश्त में विवाद करते है। इसलिए प्रार्थी अपने खेत की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसके प्रार्थी खातेदार होने से अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकारी है। जिसका खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आवेदन का खण्डन नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहता है उस खेत का प्रार्थी स्वयं खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि बह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1096 तादादी 14.0900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा के खेत की चतुर्दिक सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भानीपुरा को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 09/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)